राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14913/2016

जयप्रकाश सोनी पुत्र स्व. गोपीकिशन सोनी, एडवोकेट, निवासी नाथाणी पाड़ा सोनी पाड़ा, जैसलमेर, जिला जैसलमेर, राज.।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, वित्त भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा, सामान्य बीमा एवं भविष्य निधि, जयपुर।

---- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री चेतन प्रकाश सोनी सुश्री सरिता सोनी
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री एन.एस. राजपुरोहित, एएजी

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश

13/01/2025

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 03.09.2015 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उसके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अस्पताल [राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग की नीति, समूह मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी (01.04.2015 से 31.03.2016) के अनुसार] पैनल में नहीं है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य, जैसा कि याचिका में अभिवचित है, निम्नानुसार हैं :-

2.1 याचिकाकर्ता जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जैसलमेर के न्यायालय में अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) के पद पर कार्यरत है और उसकी पहली नियुक्ति 05.05.2010 को हुई थी।

2.2 यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को नौकरी के दौरान अपनी बाईं आँख में फेको (phaco) समस्या से काफ़ी परेशानी हुई है। याचिकाकर्ता ने अहमदाबाद स्थित फेको इमल्सीफिकेशन सेंटर में कार्यरत चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. संजय आर. गांधी से अपनी आँखों की जाँच करवाई।

2.3 याचिकाकर्ता को डॉक्टर ने दिनांक 20.05.2015 को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सलाह दी थी और तदनुसार, याचिकाकर्ता का दिनांक 21.05.2025 को अहमदाबाद के उपरोक्त केंद्र में ऑपरेशन किया गया और उसी दिन उसे छुट्टी दे दी गई।

2.4 याचिकाकर्ता ने अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित माध्यम से 48,286/- रुपये की प्रतिपूर्ति के लिए अपना मेडिक्लेम भेजा, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अस्पताल राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग की नीति के अनुसार पैनल में नहीं है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है तथा मामले की पत्रावली का भी अवलोकन किया है।

4. प्रतिवादीगण द्वारा अपने उत्तर के प्रारंभिक प्रस्तुतिकरण में दिया गया प्रासंगिक स्वीकार्य रुख, जैसा कि उत्तर के पैराग्राफ 2 में वर्णित है, प्रासंगिक होने के कारण, निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है: -

> *"2. x – x – x – x – x*
>
> उपरोक्त शर्त के अनुसार, पॉलिसी के बिंदु संख्या *2* में उल्लिखित अस्पतालों में हुए उपचार के लिए प्रतिपूर्ति देय है। याचिकाकर्ता ने अपना उपचार फेको इमल्सीफिकेशन एंड लेजर सेंटर, अंबावाड़ी अहमदाबाद में कराया है, जो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के बाहर अनुमोदित अस्पतालों में शामिल नहीं है। इसलिए, दावा उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया और इसे याचिकाकर्ता को दिनांक *03.09.2015* के पत्र द्वारा अग्रेषित कर दिया गया। इसलिए, रिट याचिका पोषणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।"

5. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कराए गए उपचार पर कोई विवाद नहीं है। केवल इसलिए क्योंकि उसने एक निजी अस्पताल में प्रक्रिया कराने का विकल्प चुना था, जिसके कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया।

6. एक बार जब उपचार विवादित नहीं रह जाता है, तो सर्वोत्तम स्थिति में सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के दावे को उस पर लागू सेवा नियमों के तहत ऐसे उपचार के लिए निर्धारित दरों के अनुसार स्वीकार करना चाहिए था।

7. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और दिनांक 30.06.2016 का आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक 5) रद्द किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी को लागू सेवा नियमों और स्वीकार्य दरों के अनुसार इस प्रकार आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, मानो उसने किसी अधिकृत अस्पताल में उपचार कराया हो। यदि स्वीकार्य दरों पर भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

8. कोई अन्य आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** जे

92-मोहन/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है – हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate